

न्यायालय-ए0के0गुप्ता, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, गोहद जिला भिण्ड, (मध्यप्रदेश)

आपराधिक प्रक0क्र0 244 / 2015

संस्थित दिनांक-13.05.15

राज्य द्वारा आरक्षी केंद्र-गोहद
जिला-भिण्ड (म0प्र0)

.....अभियोगी

विरुद्ध

पंकज उर्फ मिर्ची पुत्र जयनारायण शर्मा

उम्र 22 साल, निवासी वार्ड क्र0 10 बडा

बाजार गोहद जिला भिण्ड म0प्र0

.....अभियुक्त

—:: निर्णय ::—

{आज दिनांक 31.08.2017 को घोषित}

अभियुक्त पर भारतीय दंड संहिता 1860 (जिसे अत्र पश्चात "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 457, 380 के अधीन दण्डनीय अपराध का आरोप है कि उसने दिनांक 19-20.02.15 की मध्य रात्रि फरियादी के मकान बडा बाजार गोहद में फरियादी लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान में चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा फरियादी का मकान जो उसके निवास के उपयोग में आता है, में प्रवेश कर बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए फरियादी के मोबाईल एवं नगदी 1600 रुपये फरियादी की इच्छा के बिना ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया।

2. अभियोजन कथा संक्षेप में इस प्रकार से है कि दिनांक 19-20 फरवरी 2015 की मध्य रात्रि में फरियादी लक्ष्मीनारायण सोनी अपने घर सो रहा था कि रात करीब दो बजे कूलर पर रखा लोटा गिरने से उसकी नींद खुली, एक लडका कूलर के पास खड़ा था जिसको देखकर चिल्लाया तो लडके ने फरियादी की तरफ देखा जो अभियुक्त पंकज उर्फ मिर्ची था, उसके हाथ में दो मोबाईल भी थे। फरियादी व उसके बच्चों के द्वारा चिल्लाने पर अभियुक्त छत पर चढ़कर भाग गया। तब फरियादी ने देखा कि उसके कूलर पर रखे दो मोबाईल माइक्रोमैक्स एवं लावा कंपनी के नहीं थे तथा लडके के पर्स से 1600 रुपये नहीं मिले। अभियुक्त छत से होकर चोरी कर ले गया। उक्त आशय की रिपोर्ट दिनांक 25.02.15 को लेखबद्ध कराए जाने से अपराध पंजीबद्ध किया गया। दौरान अनुसंधान नक्शामौका बनाया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किए गए, अभियुक्त से पूछताछ कर उसका मेमो लिया, उसके पास से लावा कंपनी का मोबाईल जब्त किया को गिर0 कर गिर0 पत्र बनाया गया बाद अनुसंधान अभियोगपत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3. अभियुक्त को पद क्र 1 में वर्णित आशय के आरोप पढ़कर सुनाये व समझाये जाने पर उनके द्वारा अपराध करने से इंकार किया गया। दफ़्त की धारा 313 के अधीन अभियुक्त द्वारा उनके निर्दोष होने एवं झूठा फंसाये जाने का बचाव लिया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्न विचारणीय प्रश्न हैं —

1. क्या अभियुक्त ने दिनांक 19-20.02.15 की मध्य रात्रि फरियादी के मकान बड़ा बाजार गोहद में फरियादी लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान में चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रि प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया ?

2. क्या अभियुक्त ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी का मकान जो उसके निवास के उपयोग में आता है, में प्रवेश कर बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए फरियादी के मोबाईल एवं नगदी 1600 रुपये फरियादी की इच्छा के बिना ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया ?

—:: सकारण निष्कर्ष ::—

5. अभियोजन की ओर से प्रकरण में लक्ष्मीनारायण सोनी अ0सा0 1, विवेक सोनी अ0सा0 2, अनिल खटीक अ0सा0 3, हिम्मतसिंह अ0सा0 4, उमाकांत शर्मा अ0सा0 5, विनय सोनी अ0सा0 6 को परीक्षित कराया गया है जबकि अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य नहीं दी गयी है। तथ्यों एवं साक्ष्य में उत्पन्न परिस्थितियों में पुनरावृत्ति के निवारण हेतु दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6. लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1 यह कथन करते हैं कि दिनांक 05.08.16 से करीब एक साल से अधिक पहले रात को वे घर पर लेटे थे। लोटा जमीन पर गिरने की आवाज आई तो उसकी नींद टूट गयी, उसने उठकर देखा तो कोई भागता दिखा। वह नहीं देख पाया कि कौन था। दो मोबाईल माइक्रोमैक्स एवं लावा कंपनी का तथा 1600 रुपये कोई अज्ञात चोर चुरा ले गया। उसने चोर की तलाशी की, मौहल्ले के लोगों ने कहाकि अभियुक्त पंकज उर्फ मिर्ची चोरी करता है इसी ने चोरी की होगी तो उसने लोगों के कहने पर शक के आधार पर प्रपी0 1 की रिपोर्ट लिखाई थी जिसमें ए से ए भाग पर हस्ताक्षर हैं। साक्षी नक्शामौका प्र0पी0 2 पर अपने ए से ए भाग पर हस्ताक्षर होना प्रमाणित करता है। फरियादी इस प्रकार से अभियुक्त की अपराध में संलिप्तता के संबंध में मात्र संदेह के आधार पर प्राथमिकी लेखबद्ध कराए जाने के संबंध में कथन करता है। साक्षी को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षी द्वारा इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त को चोरी करते हुए उसके लडके विवेक और विनय ने देख लिया था। साक्षी इस तथ्य से भी इंकार करता है कि उसने उक्त बात प्र0पी0 1 की रिपोर्ट तथा पुलिस कथन प्र0पी0 3 में लिखा दी थी। साक्षी द्वारा प्र0पी0 1 की प्राथमिकी तथा प्रपी0 3 के पुलिस कथन में विनिर्दिष्ट भागों के तथ्य लिखाए जाने से स्पष्टतः इंकार किया है। ऐसी दशा में अभियुक्त को अभिकथित घटना

दिनांक को चोरी करते हुए देखा हो, इस संबंध में अभियोजन का सर्वोत्तम साक्षी लक्ष्मीनारायण अ0सा0 1 समर्थन नहीं करता है। ऐसी दशा में अन्य अभियोजन साक्ष्य पर न्यायालय को विचार करना होगा।

7. विवेक सोनी अ0सा0 2 यह कथन करते हैं कि अभियुक्त उनके पड़ोस में रहता है। घटना एक साल पहले रात के समय की बताते हुए यह कथन करते हैं कि वे सो रहे थे और घर में शोर हुआ कि चोरी हो गयी-चोरी हो गयी। घर से उसके भाई विनय का मोबाईल चोरी हो गया था। उसने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने आकर पूछताछ की लेकिन पता नहीं चला। साक्षी इस तथ्य से इंकार करता है कि उसके समक्ष पुलिस ने अभियुक्त से पूछताछ की और जब्ती की थी। साक्षी इस तथ्य से भी इंकार करता है कि किसी व्यक्ति को उसने चोरी करते हुए या भागते हुए देखा। साक्षी पुलिस को कोई भी बयान देने के तथ्य से भी इंकार करता है। अन्य चक्षुदर्शी साक्षी विनय सोनी अ0सा0 6 को प्राथमिकी में लेख किया गया है जो लगभग अपने भाई विवेक अ0सा0 2 के समान ही कथन करते हैं कि वे रात को सो रहे थे और करीब दो बजे कूलर पर रखा लोटा गिरा तो बाहर आकर देखा कि एक व्यक्ति खड़ा है जो उन लोगों को देखकर भाग गया था। साक्षी उक्त व्यक्ति द्वारा दो मोबाईल और 1600 रुपये चुरा लेने के संबंध में कथन करते हैं। उक्त दोनों ही साक्षियों को अभियोजन पक्ष द्वारा पक्षविरोधी घोषितकर सूचक प्रश्न पूछे गए जिसमें साक्षियों ने उनके समक्ष अभियुक्त द्वारा चोरी किए जाने तथा अभियुक्त को घटनास्थल पर देख लेने का सुझाव दिया गया जिससे दोनों ही साक्षियों द्वारा इंकार किया गया। साक्षीगण ने पुलिस कथन के संबंध में भी इंकार किया है। साक्षी विवेक अ0सा0 2 को अभियोजन द्वारा उसके समक्ष अभियुक्त से पूछताछ कर धारा 27 साक्ष्य विधान का ज्ञापन लिए जाने तथा गिरफ्तार कर गिर0 पत्रक एवं मोबाईल जब्तकर जब्ती पत्रक बनाए जाने की प्र0पी0 4, 5 व 6 की कार्यवाही का साक्षी भी बनाया गया है। किन्तु उक्त साक्षी अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0 4, 5 व 6 पर पुलिस द्वारा खाली कागजों पर थाने पर हस्ताक्षर करा लिए जाने और उन पर कुछ भी लिखा न होने का कथन करते हैं। इस प्रकार से प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध चोरी का अपराध कारित करने के आशय से ग्रहभेदन एवं तत्पश्चात् चोरी कारित करने के संबंध में कोई विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य अभिलेख पर नहीं हैं। ऐसी दशा में अभियोजन का मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्य की सुसंगत श्रृंखला पर निर्भर हो जाता है।

8. प्रकरण में अनुसंधानकर्ता हिम्मतसिंह अ0सा0 4 के रूप में परीक्षित कराए गए जो यह कथन करते हैं कि उन्होंने दिनांक 17.03.2015 को अभियुक्त को गिर0 कर गिर0 पंचनामा प्र0पी0 6 बनाया था जिस पर सी से सी भाग पर हस्ताक्षर होना बताते हैं। तत्पश्चात् अभियुक्त से साक्ष्य विधान की धारा 27 के अधीन ज्ञापन लिए जाने का कथन करते हुए यह बताते हैं कि अभियुक्त ने दिनांक 19-20.02.15 को लक्ष्मीनारायण सोनी के यहां चोरी करना बताया उसमें 1600 रुपये खर्च हो जाने

और मोबाईल घर पर रखे होने तथा एक मोबाईल दीपू अग्रवाल को गिरवी रख दिए जाने के तथ्य को बताया था। तत्पश्चात् प्रपी0 4 के मेमो के आधार पर उन्होंने सुबह 9:30 बजे अभियुक्त के मकान वार्ड क0 10 से एक मोबाईल लावा कंपनी का जब्त किया था। कथित मोबाईल के संबंध में जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 बनाए जाने तथा उस पर सी से सी भाग पर अपने हस्ताक्षर प्रमाणित करते हैं। प्रकरण में प्र0पी0 4 के ज्ञापन में चोरी संबंधी तथ्य साक्ष्य में ग्राह्य नहीं हैं। जहां तक 1600 रुपये खर्च हो जाने का तथ्य है तो अभियोजन की ओर से ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया कि उसके समक्ष अभियुक्त ने कथित रुपये खर्च किए हों। एक मोबाईल दीपू अग्रवाल को गिरवी रख देने के तथ्य के संबंध में पता चलने की बात कही है किन्तु अभियोजन पक्ष द्वारा दीपू अग्रवाल को साक्ष्य में प्रस्तुत नहीं किया गया। मात्र अभियुक्त से एक मोबाईल जब्ती पत्रक प्र0पी0 5 के अनुसार लावा कंपनी का जब्त होने का तथ्य साक्ष्य में प्रमाणित किया जा सकता है जिसके संबंध में विश्लेषण किया जाना है।

9. प्रकरण में प्रपी0 4 व 5 की कार्यवाही का साक्षी विवेक अ0सा0 2 तथा अनिल अ0सा0 3 हैं। उक्त दोनों ही साक्षी उनके समक्ष अभियुक्त से कोई भी पूछताछ होने के तथ्य से इंकार करते हैं साथ ही उनके समक्ष अभियुक्त से मोबाईल जब्त होने के तथ्य से भी स्पष्टतः इंकार करते हैं। प्रपी0 4 व 5 पर उक्त साक्षी अपने हस्ताक्षरों को तो स्वीकार करते हैं किन्तु विवेक हस्ताक्षर थाने पर कोरे कागज पर करा लिए जाने तथा साक्षी अनिल अ0सा0 3 पुलिस वालों द्वारा घर पर कागज लाकर हस्ताक्षर करा लिए जाने के संबंध में कथन किया गया है। इस प्रकार से उक्त दोनों ही साक्षियों द्वारा अभियोजन के मामले का समर्थन नहीं किया गया है। हिम्मतसिंह अ0सा0 4 द्वारा यह बताया गया कि उन्होंने विवेक सोनी से मोबाईल का बिल प्राप्त किया था जिसे प्र0पी0 7 बताते हैं। उक्त रसीद के संबंध में विवेक अ0सा0 2 से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया न ही कथित बिल प्र0पी0 7 के निष्पादक अर्थात् कमलेश वाच कंपनी व मोबाईल्स के विक्रेता का कोई कथन कराया गया। ऐसी दशा में यह तथ्य कि कथित मोबाईल विवेक अ0सा0 2 को विक्रय किया गया था, उसके संबंध में तथ्य संदिग्ध हो जाते हैं। प्रकरण में न तो फरियादी से और न ही कथित मोबाईल के क्रेता अर्थात् विवेक अ0सा0 2 से अभियुक्त से प्र0पी0 5 के जब्ती पत्रक के अनुसार कथित जब्तशुदा मोबाईल की कोई शिनाख्त कराई गयी। ऐसी दशा में यह तथ्य कि कथित मोबाईल जो अभियुक्त से जब्त बताया गया है वह फरियादी का था, इस संबंध में तथ्य संदिग्ध हो जाते हैं।

10. प्रकरण में यह तथ्य ध्यान देने योग्य है कि फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट 5 दिन बाद कराई गयी है जिसे फरियादी द्वारा मौहल्ले के लोगों के कहने पर अभियुक्त के संबंध में शक के आधार पर रिपोर्ट करना बताता है और इस प्रकार से प्राथमिकी प्रपी0 1 के संबंध में बी से बी भाग पर अभियुक्त को चोरी करते हुए पहचान लेने के संबंध में तथ्यों का गंभीर विरोधाभास दर्शाता है।

कथित चक्षुदर्शी साक्षी विवेक अ0सा0 2 एवं विनय अ0सा0 6 द्वारा अभियुक्त को चोरी करते हुए देखने अथवा भागने का कोई भी समर्थन नहीं करते। परिस्थितिजन्य साक्ष्य की श्रृंखला परस्पर संबद्ध न होकर खण्डित है। जो मोबाईल प्रपी0 5 के जब्ती पत्रक के अनुसार अभियुक्त से जब्तकरना बताया गया है उसका फरियादी या उसका पुत्र स्वामी था, यह तथ्य प्रमाणित नहीं हैं। साथ ही शिनाख्त कार्यवाही के अभाव में परिस्थितिजन्य साक्ष्य समर्थित नहीं हैं। अनुसंधानकर्ता द्वारा की गयी कार्यवाही के संबंध में किसी दस्तावेज के साक्षी द्वारा उनका समर्थन नहीं किया गया है न हीं उक्त दस्तावेजों के विधिक प्रक्रिया के अनुसरण में विधिवत रोजनामचा सान्हा में प्रविष्टिकर कार्यवाही की गयी हो, ऐसा भी अभिलेख पर नहीं हैं। यदि तर्क के लिए कथित मोबाईल पुलिस द्वारा जब्त होना मान भी लिया जाए तो अभियुक्त के आधिपत्य से जब्त हुआ हो, इस संबंध में अभियोजन का मामला विश्वसनीय नहीं हैं।

11. दाण्डिक विधि के अधीन अभियोजन को अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करना होता है अर्थात यदि एक सामान्य प्रज्ञावान व्यक्ति के मन में अभियुक्त के दोषी होने के संबंध में संदेह उत्पन्न हो जाए तो वह अपराध अभियुक्त के विरुद्ध युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं कहलाता है। न्याय दृष्टांत जोश उर्फ पप्पाचान विरुद्ध पुलिस उपनिरीक्षक कोथीलैण्डी व

अन्य ए0आई0आर0 2016 एस0सी0 4581: 2016-4 सी0सी0एस0सी0 1807 में हाल ही में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पैरा 53 में यह मताभिव्यक्ति की है कि "विधि की पुरातन प्रस्थापना है कि सन्देह चाहे जितना भी गम्भीर हो, यह सबूत का स्थान नहीं ले सकता और यह कि अभियोजन दाण्डिक आरोप पर सफल होने के लिए "सत्य हो सकेगा" की परिधि में अपने मामले को दाखिल करने का साहस नहीं कर सकता, किन्तु उसे आवश्यक रूप से "सत्य होना चाहिए" के संवर्ग में उसे उद्धृत करना चाहिए। दाण्डिक अभियोजन में, न्यायालय का यह सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि मात्र अटकलबाजी या संदेह विधिक सबूत का स्थान ग्रहण नहीं करते और ऐसी स्थिति में, जहां उपलब्ध साक्ष्य की पृष्ठभूमि में युक्तियुक्त संदेह स्वीकार किया जाता है, न्याय की विफलता को निवारित करने के लिए संदेह का लाभ अभियुक्त को प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा संदेह आवश्यक रूप से युक्तियुक्त होना चाहिए न कि काल्पनिक, कल्पनापूर्ण, अमूर्त या अस्तित्वहीन, किन्तु जैसा कि निष्पक्ष, प्रज्ञापूर्ण और विश्लेषणात्मक मस्तिष्क द्वारा स्वीकार्य हो, कारण और सामान्य ज्ञान की कसौटी पर निर्णीत किया गया हो। दाण्डिक न्यायशास्त्र में प्राथमिक शर्त भी है कि यदि उपलब्ध साय पर दो मत संभव है, जिनमें से एक अभियुक्त के अपराध को और दूसरा उसकी निर्दोषता को निर्दिष्ट कर रहा है, तो अभियुक्त के पक्ष में मत को अंगीकार किया जाना चाहिए।"

12. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अभियोजन यह तथ्य तो प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त ने दिनांक 19-20.02.15 की मध्य रात्रि फरियादी के मकान बडा बाजार गोहद में

फरियादी लक्ष्मीनारायण सोनी के मकान में चोरी करने के आशय से रात्रि में प्रवेश कर रात्रो प्रच्छन्न ग्रहअतिचार कारित किया तथा फरियादी का मकान जो उसके निवास के उपयोग में आता है, में प्रवेश कर बेईमानी पूर्वक आशय रखते हुए फरियादी के मोबाईल एवं नगदी 1600 रुपये फरियादी की इच्छा के बिना ले जाकर चोरी का अपराध कारित किया। अतः अभियुक्त को संहिता की धारा 457, 380 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है।

13. अभियुक्त की जमानत भारहीन मुक्त की जाती हैं। उसके निवेदन पर मुचलके निर्णय दिनांक से 6 माह तक प्रभावशील रहेगे।

14. प्रकरण में जब्तशुदा संपत्ति मोबाईल पूर्व से सुपुर्दगी पर हैं। सुपुर्दगीनामा सुपुर्दगीदार के पक्ष में निरस्त समक्षा जावे। अपील होने पर अपील न्यायालय के आदेश का पालन हो।

15. यदि अभियुक्त इस प्रकरण में निरोध में रहे तो इस संबंध में धारा 428 दप्रस का प्रमाणपत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में टंकित कराकर,
हस्ताक्षरित, मुद्रांकित एवं दिनांकित
कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर टंकित किया गया।

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश

सही / -

ए0के0 गुप्ता
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
गोहद, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश